

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 1 PART II — Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 34] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/ भाद 28, 1935 (शक) No. 34] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/ BHADRA 28, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 19th September, 2013/Bhadra 28, 1935 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 18th September, 2013, and is hereby published for general information:—

# THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2013

No. 24 of 2013

[18th September, 2013.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2013.

Short title.

Amendment

of Part VII and

Part XX of Constitution

(Scheduled

C.O. 22.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(a) in Part VII.—Kerala, after entry 27, insert—

"28. Marati (of the Hosdurg and Kasargod Taluks of Kasargod

District)";

सत्यापत रिक्र न

Tribes) Order, 1950. १-१६ (वाणिज्य) काशन विभाग

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (b) in Part XX .- Chhattisgarh,-
  - (i) in entry 16, after "Asur,", insert "Abhuj Maria,";
  - (ii) in entry 27, after "Korwa,", insert "Hill Korwa,".

P.K. MALHOTRA,

Secy. to the Govt. of India.

19-2-16

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

## संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 24)

[18 सितम्बर, 2013]

केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

संक्षिप्त नाम।

संविधान (अनुसूचित

जनजातियां) आदेश,

1950 के भाग 7 और भाग 20 का

संशोधन ।

सं॰ आ॰ 22

- 2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—
  - (क) भाग 7—केरल में, प्रविष्टि 27 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,—
    "28. माराटि (कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुक)";

(ख) भाग 20—छत्तीसगढ़ में,—

- (i) प्रविष्टि 16 में, "असुर" के पश्चात् "अबूझ मारिया" अंतःस्थापित करें ;
- (ii) प्रविष्टि 27 में, "कोरवा" के पश्चात्, ",पहाड़ी कोरवा" अंतःस्थापित करें ।

१९-२-१६ सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय ित्रिल लाईन्स, दिल्ली-54